तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10-5-18 यह पत्रावली राजस्व कैम्प धोलीपाल में पेश हुई। अभिभाषक वादी व अभिभाषक प्रतिवादीगण उप0। वादी व प्रतिवादीगण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रपत्र दिनांक 10–05–2018 के अनुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वादपत्र में इस अनुतोष के साथ वादपत्र प्रस्तुत किये कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 चक 9 डीएलपी के खाता संख्या–31/28 में 1.771 हैक्टेयर व चक 10 डीएलपी के खाता संख्या–44/38 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 3.542 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तार है तथा चक 10 डीएलपी के खाता संख्या–44/38 की चक 9 डीएलपी के खाता संख्या–31/28 में से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजन किया जावे।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि वादी के दादा स्व0 श्री हरदयाल सिहं की भूमि थी जो उनके देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या–1 को विरास्तन औद हुई। अर्जीदावा की दफा–1 में वर्णित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी को बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 ने पैतृक भूमि का घरूबंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 द्वारा घरूबंटवारा पारिवारिक समझौता करने के पश्चात् प्रतिवादिया संख्या–4 ने घरूबंटवारा (पारिवारिक समझौता) में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादिया संख्या–4 के द्वारा हक त्याग करने के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 को वाकै चक 9 डीएलपी में खाता संख्या–31/28 में 1.771 हैक्टेयर व चक नम्बर–10 डीएलपी के खाता संख्या–44/38 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज 3.542 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई व प्रतिवादी संख्या–1 को उसके स्वयं के नाम दर्ज चक 10 डीएलपी खाता संख्या–43/42 की 1.708 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। मुताबिक घरूसमझौता में प्राप्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 चक 9 डीएलपी में खाता संख्या–31/28 में 1.771 हैक्टेयर व चक 10 डीएलपी के खाता संख्या–44/38 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज 3.542 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा चक 10 डीएलपी के खाता संख्या–44/38

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	चक 9 डीएलपी के खाता संख्या–31/28 में से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की बहिन प्रतिवादिया संख्या–4 ने प्रश्नगत कृषि भूमि को हक व हिस्सा नहीं चाहा है तथा अपने हिस्सा की भूमि का अपने भाईयों व वादी व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 के पक्ष में हक त्याग जरिये राजीनामा कर दिया है। इस कारण प्रश्नगत कृषि भूमि में अब प्रतिवादिया संख्या–4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादपत्र में याचित अनुतोष को जरिये राजीनामा वादपत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 को चक 9 डीएलपी के खाता संख्या–31/28 में 1.771 हैक्टेयर व चक नम्बर–10 डीएलपी के खाता संख्या–44/38 में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज दर्ज भूमि 3.542 हैक्टेयर में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त दोनों खातों से प्रतिवादी संख्या–1 साहबराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। हक परित्याग के पंजीयन स्टाम्प पेश होने पर पर्ची डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को कैम्प धोलीपाल में सुनाया गया।

Sd/-

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner